30/2012 रामदयालसिंह--- बजरंगसिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.1.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या-3 सीरूकंवर का देहान्त दिनांक 20-9-2014 को गई हो गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-6 महावीर का देहान्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ही दिनांक 1-6-2006 को हो गया । उक्त दोनों के बाबत कानूनी कायदो का अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने पर उन्होने इनके मरने की सूचना अपने अधिवक्ता को नहीं दी गई । जैसे ही अपीलान्ट ने यह जानकारी दी है कायम मु0 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर दिया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 विलम्ब माफी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार कर इनके वारिसान को रेकार्ड पर लिये जावें ।	

विद्वान वकील अभार्थी ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की सीरूकंवर माता है इस कारण अपीलान्ट यह नहीं कह सकता कि उसे इसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है। अपीलान्ट को सीरूकंवर की मृत्यु की जानकारी शुरू से ही है । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानबूझकर मियाद बाहर पेश किया है ।रेस्पो० सं०-6 महावीर का देहान्त अर्सा करीब ।। वर्ष पूर्व हो गया। अपीलान्ट ने यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है। इस कारण भी अपीलान्ट की अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त होने योग्य है । अपीलान्ट ने मृत व्यक्तियों की जानकारी होते हुये भी कायम मुकाम अवधि भीतर पेश नहीं किये। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया ।यह सही है कि सीरूकंवर अपीलान्ट की माता है जिसकी मृत्यु की जानकारी अपीलान्ट को मृत्यु के दिनांक से ही थी तथा अपीलान्ट का यह कथन भी सारहीन है कि

दिनांक	आज्ञा पत्र	

अपीलान्ट को कानून की जानकारी नहीं थी ।अपील के नोटिस दिनांक 23-9-16 की पेशी के लिये जारी किये जिन पर रेस्पोंडेन्ट सं0-3 व 8 की मृत्यु की सूचना आई जो अपील की आदेशीका दिनांक 23-9-16 में मृत्यु सूचना हो चुकी। इसके बाद भी अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र 6 माह बाद पेश किया जिससे यह स्पष्ट है अपीलान्ट अपने कृतव्यों के प्रति सजग नहीं है जबकि ~~000~~ डीएनजे 2017(3) राज0 पेज 1054 में स्पष्ट किया है कि मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक रहना चाहिये तथा स्वयं को कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जानकारी रखनी चाहिये। दफा-5 में जो तथ्य दर्ज किये है वह सन्तोषप्रद नहीं है । अतः अपीलान्ट की अपील एआईआर 1963(एस0सी0) पेज-553, एआईआर 1970(कलकता) पेज 99 के अनुसार प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाकर अपीलान्ट की अपील सम्पूर्ण खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

23/11/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर